राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/1900 दिनांकः 24.12.2021

परिपत्र-7

''राजस्थान जन आधार योजना'' राज्य की एक फ्लेगशिप योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के नकद व गैर-नकद लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित किये जाते है। लाभार्थियों को प्रदायित समस्त लाभों व सेवाओं के लेखों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए इनके लेखों-जोखों का सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक है। इन लेखों के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020'' तथा ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021'' में प्रावधान किये गये है, जिनके अनुसार लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित शासकीय अभिलेख को, लोक सूचना के लिए छः माह के अन्तराल पर संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति को उपलब्ध करवाने के लिए जन-सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा और हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, आमंत्रित किये जायेंगे और लोक कल्याणकारी प्रसुविधा के परिदान से संबंधित अधिकारी द्वारा उचित तौर पर निपटाये जायेंगे।

उक्त अधिनियम व नियम की पालना में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित शासकीय अभिलेखों (प्रशासनिक प्रतिवेदन) को सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक छः माह अर्थात 1 जनवरी से 30 जून तथा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की अवधि के अंतराल पर जन-सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जाने के साथ-साथ इनको इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा मुद्रित पुस्तिका के रूप में संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति में आमजन के अवलोकन हेतु रखा जाना है।

प्रत्येक छमाही में जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित लाभों का सामाजिक अंकेक्षण जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के दिशा-निर्देशन में सुनिश्चित किया जायेगा।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित लाभों का विवरण जन-सूचना पोर्टल पर प्रारूप 'अ' में अपलोड किया जायेगा तथा आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड समिति में अपलोड प्रतिवेदन को इलेक्ट्रोनिक माध्यम यथा ई-मित्र प्लस मशीन पर दिखाकर अथवा डाउनलोड करके इसको मुद्रित पुस्तिका के रूप में रखा जाकर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा और हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, तो प्रारूप 'ब' में आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और शहरी क्षेत्रों हेतु उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा करवाया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी-

1. राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रत्येक छमाही के उपरांत निर्धारित अवधि के प्रशासनिक प्रतिवेदनों (प्रारूप 'अ' में) की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की एक-एक ड्राफ्ट कॉपी 04 जनवरी/04 जुलाई तक निदेशक, जन आधार को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
2. निदेशक, जन आधार द्वारा ड्राफ्ट अभिलेख के प्रारूप का अनुमोदन कर 11 जनवरी/ 11 जुलाई तक राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को अवगत कराया जायेगा।
3. राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ये प्रशासनिक प्रतिवेदन 15 जनवरी/15 जुलाई तक जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा इन प्रतिवेदनों को आगामी आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड समिति में अवलोकन व सामाजिक अंकेक्षण हेतु रखे जाने का एजेण्डा जुड़वाया जायेगा तथा इस हेतु जिला कलक्टर के माध्यम से शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार उपखंड अधिकारी/ विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर/अन्य को पाबंद किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5. ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक में सभी निवासियों को राजस्थान जन आधार योजना के लाभों से अवगत कराया जाएगा एवं योजना की जानकारी दी जाएगी।
6. प्रशासनिक प्रतिवेदन में अंकित सभी लाभार्थियों के लेखों को ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक में पढ़कर सुनाया जायेगा एवं यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनका संलग्न प्रपत्र (प्रारूप 'ब') में इन्द्राज कर यथासम्भव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जायेगा। यदि किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण संभव न हो, तो ऐसी आपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को और शहरी क्षेत्रों हेतु उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को यथोचित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भिजवाया जायेगा।
8. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर मूल प्रति ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति एवं ग्राम सभा के आयोजन की फोटो ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
8. (ब) शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति में प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित वार्ड पार्षद तथा नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर मूल प्रति नगर निकाय मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति एवं वार्ड समिति के आयोजन की फोटो जिला/ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त ग्राम सभा/ वार्ड समितियों में प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी इकजाई प्रमाण-पत्र (प्रारूप 'स') के अनुसार जन आधार प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

IndiaCode

10. ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक आयोजन की फोटो, ई-मित्र अथवा ब्लॉक/जिला सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
11. ये प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर निकाय में आगामी पाँच वर्षो तक सुरक्षित रखा जाएगा। आम निवासी उसको प्रदान किये लाभों की रिपोर्ट की प्रति एक साधारण कागज पर आवेदन कर प्राप्त कर सकता है।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव, एवं अध्यक्ष

क्रमांकः एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/ 1901-15 दिनांकः 24.12.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर यह भी निवेदन है कि आपके विभाग की ओर से दिनांक 02.12.2016 को जारी अधिसूचना में "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020" के क्रम में आवश्यक संशोधन कराये जाने का श्रम करावें तथा उक्तानुसार प्रत्येक छमाह के अन्तराल उपरान्त आयोजित होने वाली प्रत्येक ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिदान किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन को रखे जाने को स्थाई एजेण्डा रूप में सम्मिलित कराने का श्रम करावे।
4. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर यह भी निवेदन है कि उक्तानुसार प्रत्येक छमाह के अन्तराल उपरान्त आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्ड समितियों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिदान किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन को रखे जाने को स्थाई एजेण्डा रूप में सम्मिलित कराने का श्रम करावे।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर।
10. अति. निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
12. एस.ए. / ए.सी.पी.(उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
13. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
14. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त।
15. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रौग्रामर, समस्त।

शासन सचिव, आयोजना
एवं पदेन महानिदेशक

IndiaCode

सत्यमेव जयते

जन-आधार

राजस्थान सरकार

जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तांतरित किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन

IndiaCode

अवधि	:
ग्राम पंचायत/ वार्ड संख्या	:
पंचायत समिति/ नगर निकाय	:
जिला	:

योजनावार लाभ की स्थिति

ग्राम पंचायत का नाम/वार्ड संख्या : .....

अवधि : .....

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का विवरण
1	राशन - चीनी (किग्रा)			
2	राशन - केरोसिन (ली)			
3	राशन - गेहूं (किग्रा)			
4	बी.पी.एल. फेमिली (रू.)			
5	पेंशन (रू.)			
6	नरेगा (रू.)			
7	शुभ लक्ष्मी योजना (रू.)			
8	जननी सुरक्षा योजना (रू.)			
. . .				

IndiaCode

योजनावार लाभ वितरण की स्थिति

गांव का नाम : .....

अवधि : .....

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का विवरण
1	राशन - केरोसिन (ली)			
2	राशन - गेहूं (किग्रा)			
3	पेंशन (रू.)			
.. . .				

IndiaCode

जन आधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 (..... से ..... तक) में परिवार वार वितरित लाभों का विवरण

जिला :	.....	पंचायत समिति/ नगर निकाय :	.....
ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या :	.....	गांव :	.....

परिवार क्रम संख्याः	.....	नामः	.....		पिता का नामः	.....	फोटो
पति /पत्नी का नाम	.....	सदस्यः	....	मोबाइलः	********.....	माता का नामः	.....

योजना		सदस्य इकाई	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	कुल
.....	.....								
नकद लाभ का योग(रू.)									

IndiaCode

प्रारूप 'ब'

कार्यालय ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति ....., जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना

निवासियों द्वारा आक्षेपों की सूची

राजस्थान जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से निवासियों को अंतरिम फायदों पर प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक ..... को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की गयी निवासियों द्वारा आक्षेप और उनके समाधानों के ब्योरे नीचे सूचीबद्ध किये गए हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जन आधार कार्ड/ रसीद संख्यांक	आक्षेपकर्ता/ निवासी का नाम	मोबाइल नंबर	आक्षेप का विवरण	आक्षेपकर्ता/ निवासी का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी	निस्तारण के लिए की गयी कार्यवाही	निस्तारण करने वाले अधिकारी का नाम और पद

IndiaCode

ग्राम विकास अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप 'ब'

कार्यालय नगर निकाय .....

वार्ड संख्या ....., जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना

निवासियों द्वारा आक्षेपों की सूची

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से निवासियों को अंतरित फायदों पर प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक.....को आयोजित वार्ड समिति की बैठक में प्रस्तुत की गयी। निवासियों द्वारा आक्षेप और उनके समाधानों के ब्यौरें नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं :-

क्र. सं.	वार्ड संख्या	जन आधार कार्ड/ रसीद संख्यांक	आक्षेपकर्ता/ निवासी का नाम	मोबाइल नंबर	आक्षेप का विवरण	आक्षेपकर्ता/ निवासी का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी	निस्तारण के लिए की गयी कार्यवाही	निस्तारण करने वाले अधिकारी का नाम और पद

IndiaCode

नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी
का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप 'स'

कार्यालय ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति..... जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये गये फायदों की प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीमों के राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से अंतरित फायदों पर पृष्ठ 1 से ..... तक अन्तर्विष्ट प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक ..... को ग्राम पंचायत ..... की आयोजित ग्राम सभा में समस्त व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ी गयी थी और राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये जाने वाले फायदों के बारे में उनको सूचित कर दिया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी।

.....परिवारों की जानकारी में से प्रविष्टियों के संबंध में ..... आक्षेप और जानकारी में अन्तर्विष्ट नहीं किये गये ..... निवासियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इनमें से .....निस्तारित कर दिये गये है और ..... ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को समाधान हेतु भिजवा दिये गये है।

सरपंच का नाम और हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

IndiaCode

प्रारूप 'स'

कार्यालय वार्ड निकाय .....

नगर निकाय ..... जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये गये फायदों की प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीमों के राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से अंतरित फायदों पर पृष्ठ 1 से ..... तक अन्तर्विष्ट प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक ..... को वार्ड निकाय ..... की आयोजित वार्ड सभा में समस्त व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ी गयी थी और राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये जाने वाले फायदों के बारे में उनको सूचित कर दिया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी।

.....परिवारों की जानकारी में से प्रविष्टियों के संबंध में ..... आक्षेप और जानकारी में अन्तर्विष्ट नहीं किये गये ..... निवासियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इनमें से .....निस्तारित कर दिये गये है और ..... सहायक/उप निदेशक/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं संखियिकी विभाग को समाधान हेतु भिजवा दिये गये है।

वार्ड पार्षद का नाम और हस्ताक्षर

नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

IndiaCode